न्यायालय उपजिलाधिकारी सकलडीहा, चन्दौली ।

वाद संख्या 10

अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0
मौजा रामगढ़ परगना बरह
तहसील सकलडीहा, चन्दौली ।

लोकनाथ महाविद्यालय रामगढ़, चन्दौली वजरिये प्रबन्धक धनंजय सिंह

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही वादी के प्रा0प0के आधार पर आरम्भ हुई । वादी लोकनाथ महाविद्यालय रामगढ़ चन्दौली वजरिए प्रबन्धक धनंजय सिंह पुत्र स्व0 लोकनाथ सिंह निवासी रामगढ़ परगना बरह तहसील सकलडीहा, चन्दौली द्वारा इस आशय का प्रा0प0प्रस्तुत किया गया कि वह उक्त महाविद्यालय का प्रबन्धक है । प्रार्थी वजरिए प्रबन्धक लोकनाथ महाविद्यालय रामगढ़ चन्दौली के नाम आ0नं0 729/0.482, 770/0.231हे0,771 रकबा 0.125हे0 का बैनामा लिया है जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में लोकनाथ महाविद्यालय रामगढ़ चन्दौली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । उक्त आराजियात में विद्यालय भवन तथा खेल फिल्ड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है । उक्त आराजियात अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है जिसका उपयोग कृषि नहीं रह गया है । अकृषक घोषित किया जाय ।

वादी के उक्त प्रा0प0की जॉच तहसीलदार सकलडीहा से करायी गयी, तहसीलदार सकलडीहा द्वारा क्षेत्रीय नायब तहसीलदार व राजस्व कर्मियों से जॉच कराकर निर्धारित प्रारूप पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । नायब तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मौजा रामगढ़ में स्थित खाता संख्या 199 रकबा 0.482हे0222 रकबा 0.231हे0 व 11 रकबा 0.125हे0 पर विद्यालय भवन व खेल का मैदान बना है उपरोक्त आराजियात अकृषिक रूप में उपयोग में लायी जा रही है ।

पत्रावली प्रस्तुत हुई । पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी 1407लगायत 1412फसली खाता सं0199 व खाता संख्या 222 व खाता संख्या 11 मौजा रामगढ़ परगना बरह तहसील सकलडीहा चन्दौली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आ0नं0729 रकबा 0.482हे0आ0नं0 770रकबा 0.231हे0 व आ0नं0771 रकबा 0.125 हे0 तीन गाटा रकबा 0.838 हे0वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । खसरा 1419फसली मौजा रामगढ़ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आराजियात पर विद्यालय है कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है । इसप्रकार तहसीलदार/नायब तहसीलदार की स्थलीय जॉच आख्या व खसरे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात पर कोई कृषि कार्य नहीं होता तथा वादी का प्रा0प0स्वीकार किये जाने के योग्य है ।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार की आख्या के आधार पर मौजा रामगढ़ परगना बरह तहसील सकलडीहा, चन्दौली में स्थित आ0नं0729रकबा 0.482हे0,770रकबा 0.231हे0,771 रकबा 0.125हे0 गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है । आदेश की प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार सकलडीहाको भेजी जाय । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय ।

10.2.12

उपजिलाधिकारी,
सकलडीहा ।